

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	554244.84	11188.35	565433.19	251248.34	52725.96	303974.30	299363.35	12636.65	312000.00	213929.91	12029.67	225959.58
<i>वसूलियां</i>	-1.49	...	-1.49
<i>प्राप्तियां</i>	...	-10000.00	-10000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00
निवल	554243.35	1188.35	555431.70	251248.34	2725.96	253974.30	299363.35	2636.65	302000.00	213929.91	2029.67	215959.58
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	60.96	...	60.96	73.91	...	73.91	72.42	...	72.42	81.67	...	81.67
2. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	19.86	3.82	23.68	22.63	5.75	28.38	22.24	5.55	27.79	27.37	3.80	31.17
3. खाद्य, गोदाम और भांडागारण के अन्य स्थापना व्यय	16.21	...	16.21	21.01	...	21.01	19.58	...	19.58	24.03	27.06	51.09
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	97.03	3.82	100.85	117.55	5.75	123.30	114.24	5.55	119.79	133.07	30.86	163.93
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
खाद्य सब्सिडी												
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता	462789.00	...	462789.00	202616.00	...	202616.00	210929.00	...	210929.00	145919.90	...	145919.90
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य राजसहायता	78337.77	...	78337.77	40000.00	...	40000.00	75290.11	...	75290.11	60561.19	...	60561.19
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी राजसहायता	203.37	...	203.37	220.00	...	220.00	250.00	...	250.00	350.00	...	350.00
जोड़-खाद्य सब्सिडी	541330.14	...	541330.14	242836.00	...	242836.00	286469.11	...	286469.11	206831.09	...	206831.09
7. भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम												
7.01 भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम	...	10000.00	10000.00	...	50000.00	50000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00
7.02 भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम का पुनर्भुगतान	...	-10000.00	-10000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00
<i>निवल</i>
8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के राज्य के भीतर और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन के लिए राज्य की एजेंसियों को सहायता	6482.54	...	6482.54	4000.00	...	4000.00	6000.00	...	6000.00
9. चीनी मौसम 2017-18 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम	8.11	...	8.11
10. चीनी मौसम 2018-19 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम	900.00	...	900.00	200.00	...	200.00	123.00	...	123.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. चीनी के 40 एलएमटी के बफर स्टॉक का मुजन और अनुरक्षण की स्कीम	500.00	...	500.00	600.00	...	600.00	700.00	...	700.00
12. चीनी के बफर स्टॉक का मुजन और अनुरक्षण की स्कीम	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	65.00	...	65.00
13. चीनी मौसम 2019-2020 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम	3900.00	...	3900.00	1000.00	...	1000.00	2150.00	...	2150.00
14. इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	150.00	...	150.00	300.00	...	300.00	160.00	...	160.00	300.00	...	300.00
15. निर्यात के संबंध में आंतरिक परिवहन, मालभाड़ा, देखरेख तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करने हेतु स्कीम	300.59	...	300.59	3.20	...	3.20
16. चीनी मिलों को सरल ऋण प्रदान करने संबंधी स्कीम	418.00	...	418.00
17. निर्यात खेपों पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन तथा भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति और अन्य अनुज्ञेय दावों का भुगतान	0.36	...	0.36
18. चीनी के निर्यात पर हैंडलिंग, अपग्रेडिंग और अन्य कार्रवाई संबंधी लागत सहित विपणन लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन की लागत एवं माल भाड़ा प्रभारों पर किए गए व्यय हेतु चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	2000.00	...	2000.00	3500.00	...	3500.00
चीनी उद्योग का विकास												
<i>19. चीनी उद्योग के विकास की स्कीमें</i>												
19.01 चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/अन्य व्यय	30.00	...	30.00	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	16.00	...	16.00
19.02 चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन /आधुनिकीकरण के लिए ऋण	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00	2.10	2.10
19.03 गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	5.00	5.00	...	1.10	1.10	...	4.07	4.07
19.04 विद्युत परियोजनाओं के खोई आधारित सह-उत्पादन के लिए चीनी कारखानों को ऋण	...	72.56	72.56	...	70.00	70.00	...	50.00	50.00	...	21.57	21.57
19.05 एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनॉल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण	...	51.97	51.97	...	80.00	80.00	...	70.00	70.00	...	41.07	41.07
<i>जोड़- चीनी उद्योग के विकास की स्कीमें</i>	<i>30.00</i>	<i>144.53</i>	<i>174.53</i>	<i>22.00</i>	<i>165.00</i>	<i>187.00</i>	<i>22.00</i>	<i>121.10</i>	<i>143.10</i>	<i>16.00</i>	<i>68.81</i>	<i>84.81</i>
20. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण	3.02	...	3.02	8.17	...	8.17	1.40	...	1.40	2.00	...	2.00
21. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन	12.65	...	12.65	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	40.00	...	40.00
22. भंडारण और गोदाम	0.80	40.00	40.80	4.79	55.21	60.00	4.79	10.00	14.79	3.20	30.00	33.20
23. वास्तविक वसूलियां	-1.49	...	-1.49
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	554134.72	184.53	554319.25	251045.96	220.21	251266.17	299223.50	131.10	299354.60	207192.29	98.81	207291.10
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
24. भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण	9.25	...	9.25	14.83	...	14.83	13.98	...	13.98	18.03	...	18.03
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
25. भारतीय खाद्य निगम की इक्रिटी पूंजी में निवेश	...	1000.00	1000.00	...	2500.00	2500.00	...	2500.00	2500.00	...	1900.00	1900.00
अन्य												
26. पी. डी. एस. - प्रशिक्षण	0.02	...	0.02
27. पी. डी. एस.- मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान	0.81	...	0.81	0.72	...	0.72
28. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभभोगियों में जागरूकता पैदा करना	1.75	...	1.75	3.67	...	3.67

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	2.58	...	2.58	4.39	...	4.39
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	9.25	1000.00	1009.25	14.83	2500.00	2514.83	16.56	2500.00	2516.56	22.42	1900.00	1922.42
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
29. चावल का पौष्टिकीकरण सुदृढीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण	2.35	...	2.35	70.00	...	70.00	9.05	...	9.05	10.13	...	10.13
30. राष्ट्रीकरण खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों को राज्य के भीतर लाने ले जाने, इनके प्रबंधन और उचित मूल्य वाली दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता के मानदंडों में संशोधन	6572.00	...	6572.00
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	2.35	...	2.35	70.00	...	70.00	9.05	...	9.05	6582.13	...	6582.13
कुल जोड़	554243.35	1188.35	555431.70	251248.34	2725.96	253974.30	299363.35	2636.65	302000.00	213929.91	2029.67	215959.58
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	554181.37	...	554181.37	250696.74	...	250696.74	298875.44	...	298875.44	213231.23	...	213231.23
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	60.89	...	60.89	73.91	...	73.91	72.42	...	72.42	81.67	...	81.67
3. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	...	1043.82	1043.82	...	2520.75	2520.75	...	2505.55	2505.55	...	1940.86	1940.86
4. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण के लिए ऋण
5. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	144.53	144.53	...	165.00	165.00	...	121.10	121.10	...	68.81	68.81
जोड़-आर्थिक सेवाएं	554242.26	1188.35	555430.61	250770.65	2685.75	253456.40	298947.86	2626.65	301574.51	213312.90	2009.67	215322.57
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	408.19	...	408.19	406.99	...	406.99	607.60	...	607.60
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1.09	...	1.09	69.50	...	69.50	8.50	...	8.50	9.41	...	9.41
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	40.21	40.21	...	10.00	10.00	...	20.00	20.00
जोड़-अन्य	1.09	...	1.09	477.69	40.21	517.90	415.49	10.00	425.49	617.01	20.00	637.01
कुल जोड़	554243.35	1188.35	555431.70	251248.34	2725.96	253974.30	299363.35	2636.65	302000.00	213929.91	2029.67	215959.58

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			(₹ करोड़)		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
जमा सहकारी समितियों को उधार												
2. केंद्रीय भंडारण निगम	...	255.29	255.29	...	205.33	205.33	...	205.68	205.68	...	225.16	225.16
3. सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड	...	20.78	20.78	...	40.00	40.00	...	12.00	12.00	...	22.20	22.20
जोड़-जमा सहकारी समितियों को उधार	...	276.07	276.07	...	245.33	245.33	...	217.68	217.68	...	247.36	247.36
भारतीय खाद्य निगम												
1. भारतीय खाद्य निगम	1040.00	56636.28	57676.28	2555.21	102495.00	105050.21	2510.00	88995.00	91505.00	1930.00	87495.00	89425.00
जोड़-भारतीय खाद्य निगम	1040.00	56636.28	57676.28	2555.21	102495.00	105050.20	2510.00	88995.00	91505.00	1930.00	87495.00	89425.00
जोड़	1040.00	56912.35	57952.35	2555.21	102740.33	105295.54	2510.00	89212.68	91722.68	1930.00	87742.36	89672.36

- सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर:** यह प्रावधान राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के स्थापना व्यय के लिए है।
- खाद्य, गोदाम और भांडारण के अन्य स्थापना व्यय:** यह प्रावधान शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय अनाज विज्ञान प्रयोगशाला, गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष के स्थापना व्यय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनाज परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद के सदस्यता शुल्क के लिए है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत तथा उनके निर्गम मूल्य के बीच के अन्तर तथा (ii) बफर स्टॉक/कार्यनीतिक रिजर्व की रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए खाद्यान्नों के लेन-देन के संबंध में सन्डि के लिए है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य राजसहायता:** यह प्रावधान खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद करने वाली राज्य सरकारों को खाद्य सन्डि प्रदान करने के संबंध में है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी राजसहायता:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्वयय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को चीनी राज सहायता प्रदान करने के लिए है।
- 7.01. भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध में अपनी नकद धन की प्रवाह आवश्यकताओं की पूर्ति, बफर स्टॉक आवश्यकताओं और खाद्यान्न हैंडलिंग को अर्थोपाय अग्रिम हेतु है। इस अग्रिम को उसी वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया जाएगा।

14. **इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी**

स्कीम: यह प्रावधान चीनी मिलों के लिए एथनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए इंजीनरिंग बॉयलरों की स्थापना करके मौजूदा डिस्टिलरियों में वर्ष के दौरान कार्य दिवस की संख्या बढ़ाकर तथा चीनी मिलों से संबद्ध नई डिस्टिलरियों की स्थापना करके एथनॉल उत्पादन क्षमता में विस्तार करने के लिए है।

19.01. **चीनी उपक्रमों अन्य व्यय के लिए को वित्तीय सहायता/:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए है।

19.02. **चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए ऋण:** यह व्यय चीनी कारखानों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है।

19.03. **गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण:** यह प्रावधान गन्ना विकास हेतु चीनी मिलों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है।

19.04. **विद्युत परियोजनाओं के खोई आधारित सह-उत्पादन के लिए चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने हेतु है।

19.05. **एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनॉल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान अल्कोहल से एनहाइड्रस अल्कोहल अथवा एथनॉल के उत्पादन के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है।

20. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित स्कीमों यथा - राज्य खाद्य आयोग और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को सहायता।

21. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर खर्च के लिए है।

22. **भंडारण और गोदाम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के द्वारा भंडारण क्षमता के निर्माण (गोदाम और साइलो) के लिए है।
24. **भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों/ट्रांस्फार्मेशन प्लान की ऑनलाईन मानीटरिंग हेतु स्थापना व्यय एवं आई टी समर्थित प्रणाली संबंधी व्यय के लिए अनुदान-सहायता-वेतन तथा अनुदान-सहायता-सामान्य प्रदान करने के लिए है।
25. **भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश के लिए है।
26. **पी. डी. एस. – प्रशिक्षण:** इस प्रोजेक्ट (पूर्ववर्ती 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का सुदृढीकरण' योजना का घटक) के तहत प्रावधान राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को उनके द्वारा पहले से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी) की प्राप्ति के अग्रधीन 10% शेष सुगतान करने के लिए है। इस प्रोजेक्ट की समाप्ति तिथि 31.03.2022 है।
27. **पी. डी. एस.- मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान:** इस प्रोजेक्ट (पूर्ववर्ती 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का सुदृढीकरण' योजना का घटक) के तहत प्रावधान चरण- II (2020-23) के लिए विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में रा. खा. सु. अधि. (एनएफएसए) के कार्यान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन के लिए लगे निगरानी संस्थानों को भुगतान करने के लिए है। इस प्रोजेक्ट की समाप्ति तिथि 31.03.2024 है।
28. **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभभोगियों में जागरूकता पैदा करना:** इस प्रोजेक्ट (पूर्ववर्ती 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का सुदृढीकरण' योजना का घटक) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) लाभार्थियों के बीच उनके अधिकार और निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यों को उनसे प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। इस परियोजना की समाप्ति तिथि 31.03.2024 है।
29. **चावल का पौष्टिकीकरण सुदृढीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण:** यह प्रावधान 15 चयनित जिलों में प्रायोगिक आधार पर एनीमिया तथा सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पौष्टिकीकृत चावल के वितरण के लिए है।
30. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों को राज्य के भीतर लाने ले जाने, इनके प्रबंधन और उचित मूल्य वाली दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता के मानदंडों में संशोधन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्नों के रखरखाव, अंतर्राज्यीय संचलन और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए है।